

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-13042023-245152
SG-DL-E-13042023-245152असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2023/चैत्र 23, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 18
No. 130]	DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2023/CHAITRA 23, 1945	[N. C. T. D. No. 18

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIस्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

फा. सं. एए/डीओटीसी/2019/एचबीएसी/3044/1735-1743.—मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (1994 का 42) की धारा 9 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से वैकटेश्वर अस्पताल, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की प्राधिकार समिति का गठन करते हैं, अर्थात् :-

1.	डॉ. के.एस. राणा, बाल चिकित्सा तंत्रिका विज्ञान, वैकटेश्वर अस्पताल, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली- 110075	अध्यक्ष
2.	डॉ. पुष्पेन्द्र कुमार सचदेवा, निदेशक एवं प्रमुख (न्यूरो सर्जन), वैकटेश्वर अस्पताल, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली- 110075	सदस्य

3.	डॉ. रश्मि गुप्ता बाजपेयी, सामान्य चिकित्सक, वैकटेश्वर अस्पताल, सेक्टर-18ए, द्वारका, नई दिल्ली- 110075	सदस्य
4.	डॉ. कावेरी चक्रवर्ती, भूतपूर्व महानिदेशक, चिकित्सा सेवाएं-ओएनजीसी लि0,	सदस्य
5.	श्री हरिचन्द जाखड़, सेवानिवृत्त उप -निदेशक (प्रकाशन), भारतीय बागवानी अनुसंधान परिषद	सदस्य
6.	सचिव (स्वास्थ्य) अथवा नामिती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार नौवा तल, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली.	सदस्य
7.	महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं अथवा नामिती राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एफ-17, कडकड़डूमा, दिल्ली- 32	सदस्य

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम पर,
आर. के. मीणा, उप सचिव

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th April, 2023

F. No. AA/DOTC/2019/HBAC/3044/1735-1743.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (4) of section 9 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Act, 1994 (42 of 1994) read with rule 12 of the Transplantation of Human Organs and Tissues Rules, 2014 the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the authorization committee consisting of following persons for Venkateshwar Hospital, Sector-18A, Dwarka, New Delhi, with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette, namely:

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. K. S. Rana
Pediatric Neurology
Venkateshwar Hospital, Sector-18A, Dwarka
New Delhi-110075 | Chairman |
| 2. Dr. Pushpender Kr. Sachdeva
Director & Head (Neurosurgeon)
Venkateshwar Hospital, Sector-18A, Dwarka
New Delhi-110075 | Member |
| 3. Dr. Rashmi Gupta Bajpai
General Physician
Venkateshwar Hospital, Sector-18A, Dwarka
New Delhi-110075 | Member |
| 4. Dr. Kaveri Chakraborty
Former General Manager
Medical Services – ONGC Ltd. | Member |

-
- | | | |
|------|---|--------|
| 5. | Mr. Hari Chand Jakhar
Retd. Deputy Director (Publication),
Indian Council of Historical Research | Member |
|
 | | |
| 6. | Secretary (Health)
Government of National Capital Territory of Delhi
or Nominee 9 th Floor, Delhi Secretariat,
IP Estate, New Delhi | Member |
|
 | | |
| 7. | Nominee of Director Health Services
Government of National Capital Territory of Delhi
Hospital Cell, F-17, Karkardooma, Delhi -32 | Member |

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MEENA Dy. Secy.